

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

रविवार

दिनांक :- 05.11.2017

शांति भंग करने के 10 आरोपी गिरफ्तार :-

बच्चू सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने हेमराज बैरवा पुत्र लोर्डाकया बैरवा निवासी धमुण व हनुमान पुत्र किस्तूरा बैरवा निवासी धमुण को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार सन्दीप सिंह हैड कानि० थाना कोतवाली ने मो० आरिफ पुत्र अ० अजीज उम्र 23 साल निवासी छाण थाना खंडार व भवानी सिंह पुत्र नाथूलाल जाति कोला उम्र 21 साल निवासी ब्रह्मपुरी मो० शहर स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मुकेश कुमार उ०नि० (प्रो०) थानाधिकारी थाना रवांजना डूंगर ने मीठालाल पुत्र रामदेवी उम्र 45 साल , हरिनारायण पुत्र रामफूल उम्र 45 साल , गजानन्द पुत्र ऊंकार उम्र 70 साल , श्योजी राम पुत्र मदनलाल उम्र 27 साल , सुरजान पुत्र केसरा उम्र 32 साल , रतीराम पुत्र जगदोश उम्र 30 साल समस्त जातियान गुजरान निवासीयान मोडा का ढाणी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 01 आरोपी गिरफ्तार:-

रामस्वरूप उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने श्री तेजराम पुत्र रामप्रसाद जाति मीना उम्र 33 साल निवासी कोडयाई थाना बौली हाल मीना कोलोनी स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 07 आरोपी गिरफ्तार:-

देवीलाल हैड कानि० थाना बाटौदा ने खेमचन्द पुत्र श्री प्रहलाद जाति जायसवाल उम्र 33 साल निवासी जीवद थाना बाटोदा व हबीब पुत्र गफूर जाति फकीर मुसलमान उम्र 50 साल निवासी जीवद थाना बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर ग्राम जीवद में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के 52 पत्ते व 1020 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 163/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार घनश्याम सिंह स०उ०नि० थाना बाटौदा ने मदनलाल पुत्र श्री हुक्मा जाति कोली उम्र 60 साल निवासी जीवद व कक्कू पुत्र सुखदेव जाति कोली उम्र 59 साल निवासी रेलवे कोलोनी कोटा थाना कोटा रेलवे हाल वासी जीवद थाना बाटोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर ग्राम जीवद में स्कूल के पास जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के 52 पत्ते व 1010 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 164/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार प्रकाश चन्द हैड कानि० थाना पीलोदा ने साकिर पुत्र बाबू उम्र 31 साल , फिरोज पुत्र फज्जू उम्र 30 साल , अफरूज पुत्र फज्जू उम्र 25 साल जातियान फकीर मुसलमान निवासीयान खिदरपुर थाना पीलोदा को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर ग्राम खिदरपुर में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के 52 पत्ते व 1400 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 93/17 दर्ज किया गया।